न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः—56 / 2023(जीसीएमएस नम्बर 2023 / 167)

1. कविता देवी पत्नी श्री लाखन सिंह राजपूत निवासी ग्राम तालाब, तहसील टहला जिला अलवर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. जिला कलक्टर, अलवर, राजस्थान।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः—

1. **श्री ध्रुवसिंह बगडिया एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या की ओर से**

निर्णय

दिनांक 21.03.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2023 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप—6) के द्वारा एक अधिसूचना दिनांक 18 अगस्त 2021 को प्रसारित की गई कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 260 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार भू आवंटन नियम 1970 के अंतर्गत जिला कलेक्टर पर अधिरोपित कर्तव्यो एवं शक्तियों के तहत राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत समस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है तथा भूमि आवंटन करने के लिए अधिकृत किया जाता है तथा राजस्थान सरकार के द्वारा जारी उक्त अधिसूचना के अनुसरण में भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटन करने हेतु आगे की कार्यवाही उपखंड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा अमल में लाई गई तथा नियमानुसार प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 तहत आयोजित किए जाने वाले ग्राम शिविरों की सूची नियमानुसार विधायक महोदय, क्षेत्रीय वन अधिकारी, जिला वन अधिकारी, तहसीलदार, ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायत समिति प्रधान एवं संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच को सूचना प्रेषित की गई तथा आवंटित की जाने वाली भूमि की सूची संबंधित पटवारी, पटवार हल्का के द्वारा तैयार की गई तथा जरिए नोटिस कर सूचना पट्ट पर चस्पा कर, व्हाट्सएप के जरिए आवंटन हेतु जनहित की जानकारी में लाया गया, क्षेत्रीय वन अधिकारी, जिला वन अधिकारी को आवंटन के संदर्भ में उपखंड अधिकारी राजगढ़ शिविर प्रभारी के द्वारा सूचित किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर अधिसूचना दिनांक 18 अगस्त 2021 के अनुसरण शिविर आयोजित किए गए। शिविर में उपस्थित रहने हेतु संबंधित अधिकारियों को एवं जनप्रतिनिधियों को सूचित किया गया, सूचना के मुताबिक शिविर में जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित आए। भूमि आवंटन शिविर में अपीलार्थी के द्वारा हाल खसरा नम्बर 1351, 1352, 1354, 1355, 1365, 1464 में से .22+0.5+013+085+ 1.23+55=2.03 हैक्टयर भूमि को कृषि कार्य हेतु आवंटन करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी के आवेदन पर आवंटन सलाहकार समिति ने हल्का पटवारी की पुराने कब्जे की रिपोर्ट देखने के पश्चात अपीलार्थी के पक्ष में आवंटन करने की सिफारिश की। आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के पश्चात् उपखंड अधिकारी राजगढ़ शिविर प्रभारी के द्वारा दिनांक 02 मार्च 2022 को आवंटन पत्र क्रमांकः एल. आर/आवंटन/2021–22/3045 राजकीय पड़त भूमि का आवंटन आदेश जारी किया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि आवंटन के 1 वर्ष के पश्चात् अपीलार्थी को कार्यालय जिला कलेक्टर अलवर से एक नोटिस दिनांक 03.02.2023 को प्रेषित किया गया जिसके अंतर्गत 10 दिवस में जिला कलेक्टर अलवर के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु समय निर्धारित किया गया तथा नोटिस के साथ सूची प्रेषित की गई कि आवंटन के संदर्भ में उपखंड अधिकारी राजगढ़ शिविर प्रभारी के द्वारा निम्न अनियमितताएं की गई है। अपीलार्थी के द्वारा नोटिस दिनांक 03.02.2023 का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को आवंटित खसरा नंबर की कृषि भूमि 40 वर्षो से अपीलार्थी का कब्जा है जिस पर अपीलार्थी द्वारा लगातार फसल काश्त की जा रही है। इसमें रबि एवं खरीफ की फसल बोई जा रही है, जिसकी रिपोर्ट पटवारी के द्वारा प्रत्येक वर्ष की जाती है किन्तु अपीलार्थी के तथ्यों पर बिना गौर किये ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम अलवर के द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.03.2023 के द्वारा उपखंड अधिकारी राजगढ़ पारित आवंटन आदेश दिनांक 02.03.2022 को अपास्त कर दिया गया जो आदेश विधि विरूद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर के द्वारा नोटिस दिनांक 03.02.2023 जिला कलेक्टर कार्यालय से जारी किए गए हैं जबकि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.03.2023 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम अलवर की हैसियत से पारित किया गया है जो की नियम विरुद्व है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर के द्वारा स्वयं प्रेरित संज्ञान लेकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.03.2023 पारित किया गया है जबकि भूमि आवंटन नियम 1970 नियम 14 (4) के तहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर अलवर के पास शक्ति नहीं है। उन्होने आगे कथन किया है कि विपक्षी के द्वारा अपने निर्णय में यह कथन किया है कि आवंटन अधिकारी ने खसरा नम्बर 1351, 1352, 1354, 1355, 1464 में से भूमि का आवंटन किया है उसकी सम्वत् 2012 में गैर मुमकिन राडा थी तथा सम्वत् 2020 में उक्त कृषि भूमि की किस्म गैर मुमकिन राडा, गैर मुमकिन पहाड दर्ज थी इसलिये उक्त भूमि का आवंटन नही किया जा सकता, यह तथ्य सरासर गलत है क्योंकि

P.T.O

सम्वत् 2046 के बन्दोबस्त में सर्वेक्षण के पश्चात् अधिकारियों के द्वारा पूर्व के खसरा नम्बरों से बने नये खसरा नम्बरों की किस्म परिवर्तन कर दी गई जो कि विगत 34 वर्ष पूर्व की गई है। किस्म परिवर्तन में अपीलार्थी एवं आवंटन अधिकारी की कोई भूमिका नही रही है केवल दुराशय की भावना से आवंटन आदेश निरस्त किया गया है जबकि आवंटित खसरा नम्बर के आस–पास भौतिक रूप से कोई भी राडा स्थित नही है तथा ना ही कोई नदी, नाला पूर्व में और वर्तमान में था बल्कि पूर्व में किस्म का इन्द्राज पूर्व के बंदोबस्त अधिकारियों के द्वारा सहवन से किया गया था जिसको सम्वत् 2046 के बन्दोबस्त में अधिकारीओं के द्वारा भूमि की किस्म का परिवर्तन भौतिक सत्यापन एवं दस्तावेज का अवलोकन करने के पश्चात् किया गया है, जो वर्तमान में जारी है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी को आवंटित की गई भूमि कृषि भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में उल्लेखित प्रतिबंधित श्रेणी में नही आती है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार द्वारा पारित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय से बाधित नहीं है, ग्राम लोसल सरिस्का वन क्षेत्र की पेरिफेरी में नहीं आता है इसलिये वन विभाग का इस खसरा नम्बरों से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है इसलिये वन विभाग की अनापत्ति लेना आवश्यक नही है। अपीलार्थी उसके परिवार के द्वारा विगत 40 वर्षो से वर्तमान तक आवंटित उक्त खसरा नंबरान की भूमि पर कब्जा है तथा लगातार खेती की जा रही है तथा अपीलार्थी का परिवार में कोई सरकारी नौकरी में नही है तथा परिवार खेती पर ही निर्भर है। उन्होने आगे कथन किया है कि राजस्थान सरकार के द्वारा एक पत्र दिनांक 08.07.2004 को समस्त जिला कलक्टर को प्रसाारित कर आदेशित किया गया था कि विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.3(320) दिनांक 23.05.1989 के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि गैर मुमकिन ऐसी भूमि जिसे कृषि योग्य बना लिया गया है या जिस पर कृषि की जा रही है उसका नियमन/आवंटन नियम 1970 के नियम 20 के अधीन किया जा सकता है परन्तु नियमन/आवंटन से पूर्व पहले नियम अनुसार आवंटित की जाने वाली भूमि का किस्म परिवर्तन किया जावें उसके बाद ही नियमानुसार आवंटन किया जावें। उक्त परिपत्र में लिखित दिशा निर्देशों की पालना आवंटन अधिकारी के द्वारा पूर्ण रूप से की गई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त परिपत्र के दिशा निर्देशों को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.03.2023 पारित कर आवंटन आदेश दिनांक 02.03.2022 को निरस्त किया गया है वह सरकार के द्वारा जारी दिशा निदेशों के विपरित है। इसलिये भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2023 को निरस्त फरमाया जाकर उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर द्वारा जारी आवंटन आदेश दिनांक 02.03.2022 को बहाल फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के दौरान राजगढ़ उपखण्ड के तहत राजगढ़/टहला में किये

P.T.O

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

गये भूमि आवंटन के प्रकरणों की जॉच किये जाने हेतु जिला कलक्टर अलवर के आदेश दिनांक 01.11.2022 के द्वारा एक जिला स्तरीय जॉच दल का गठन किया गया है तथा प्रदत्त निर्देशों की पालना में प्रभारी जॉच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर ने विस्तृत जॉच की जाकर जॉच रिपोर्ट में आवंटन में अनियमितता होने के कारण निरस्त किये जाने की अभिशंषा की गई है एवं प्रकरण में वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड सम्वत् 2012 में भूमि की किस्म गैर मुमकिन राडा एवं गैर मुमकिन पहाड़ दर्ज है जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.07.2003 के अनुसार पर्यावरण जलागमन क्षेत्र की पुनःस्थापन लोकहित नदी की भूमि निर्माण आदि में प्रयुक्त नही की जा सकती तथा उक्त भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विस्तृत जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2023 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि जिला कलक्टर अलवर के अपीलाधीन आदेश में निम्न तथ्यों व रिपोर्ट का अंकन किया गया है कि मुताबिक जांच रिपोर्ट आवंटित भूमि की किस्म गैर मुमकिन राडा दर्ज रिकार्ड है, जो प्रतिबंधित श्रेणी में आती है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.07.2003 के अनुसार पर्यावरण जलागमन क्षेत्र का पुनः स्थापन लोकहित वाद नदी की भूमि निर्माण आदि मे प्रयुक्त नही की जा सकती है, गैर मुमकिन नला/पहाड/राडा भी उक्त प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में आती है, प्रकरण में वर्णित आराजी बाघ परियोजना सरिस्का के अन्तर्गत आती है, जॉच रिपोर्ट में आवंटन आदेश शिविरों/फौलोअप कैम्पों में नही किया जाना बतलाया गया है एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों व राजकीय भूमि के आवंटन नियम 1970 के अनुसार आदेश उसी ग्राम में या विशेष परिस्थितियों में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किये जाने चाहिये, जो नही किये गये, आवंटन अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों पर प्राप्ति का समय व दिनांक अंकित नही है, सलाहकार समिति की बैठक हेतु नोटिस देते हुऐ एक सप्ताह का नोटिस जारी किया गया हो, या नोटिस की विधिवत तामील हुई हो, इस बाबत प्रमाण उपलब्ध नही है, अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड अलवर के पत्र दिनांक 03.02.2023 के अनुसार ग्राम तालाब कमाण्ड क्षेत्र में आता है, आवंटन नियम 1970 के नियम 3 के तहत कमाण्ड क्षेत्र में स्थित भूमि हेतु उक्त नियम लागू नही होते है एवं उक्त आवंटन के सम्बन्ध मे आंतरिक लेखा जांच दल (आय) द्वारा भी उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के राजस्व लेखों की निरीक्षण अवधि 05/2022 के अनुच्छेद संख्या 6 राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत आवंटन किये जाने पर राजस्व हानि एवं अनियमितताओं का आक्षेप अंकित किया गया है तथा आवंटन नियमों की शर्तो की पूर्ण पालना ना होने के कारण आवंटन खारिज किये जाने हेतु अभिशंषा भी की गई है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.03.2023 पारित किया गया है।

P.T.O

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2023 में अंकित तथ्यों एवं आक्षेपों के प्रतिकूल एवं अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है जिससे राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत अपीलार्थी की उक्त आवंटन हेतु पात्रता सिद्ध होती हो या आवंटन नियमों हेतु निर्धारित प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप आवंटन हुआ हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2023 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है जिससे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2023 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अतिरिक्त न्यायालय जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.03.2023 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।